भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3210

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट गवर्नेंस

3210. श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों में धोखाधड़ी की घटनाओं को नियंत्रित करने के मकसद से कंपनियों में धोखाधड़ी, आंतरिक नियंत्रण, माल सूची और बकाया राशि से संबंधित किन्हीं चूकों को उजागर करने संबंधी लेखापरीक्षकों को आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में संपूर्ण कारपोरेट गवर्नेंस मानकों को सशक्त बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 जारी किया है जिसमें संबंधित कंपनियों के लेखापरीक्षकों से यह अपेक्षा की गई है कि रिपोर्ट में पहचाने गए/रिपोर्ट किए गए कपट, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, माल सूची का वास्तविक सत्यापन और वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बकायों का पुनर्भुगतान सहित विभिन्न मामलों पर एक विवरण शामिल करें। कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के पैराग्राफ संख्या 3 के उप पैराग्राफ संख्या 3(ii)(क), (iv), (ix) और (xii) जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mca.gov.in पर उपलब्ध है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

(ग): कंपनी अधिनियम, 1956 की जगह बने कंपनी अधिनियम, 2013 में, भारत में कंपनियों में कारपोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड और इसकी समितियों, जैसे कि लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के उत्तरदायित्व बढ़ाना, हितधारकों के लिए और अधिक जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कठोर नियम बनाना तथा निवेशक सुरक्षा को और सुदृढ़ करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन

मानक (इंडएएस) भी फरवरी, 2015 में अधिसूचित किए गए हैं और इससे बेहतर कारपोरेट शासन में सहायता मिलने की उम्मीद है।

*****